



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 454) पटना, सोमवार, 11 मई 2026

सं0-5/एम0-706/2018-6095
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

संकल्प
8 मई 2026

विषय : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले 07 (सात) पुलिस जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये मात्र से पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में।

विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले सात जवानों को प्रत्येक वर्ष 51-51 हजार रुपये पुरस्कार दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है।

- विभागीय संकल्प संख्या-5124, दिनांक-10.05.2024 द्वारा उपर्युक्त संकल्प की कंडिका-03 निहित प्रावधान को विलोपित करते हुए प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले चौदह सुयोग्य पुलिस जवानों/कर्मियों का चयन करने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर चयन समिति का पुनर्गठन किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नामित क्रमशः अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना एवं पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का पद सम्प्रति रिक्त है।
- अतः विभागीय संकल्प संख्या-5124, दिनांक-10.05.2024 को अवक्रमित करते हुए प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता का परिचय देने वाले 07 (सात) पुलिस जवानों/कर्मियों को 51-51 हजार रुपये की राशि से पुरस्कृत किये जाने हेतु दुगुनी संख्या 14 (चौदह) में आरक्षी जवानों/कर्मियों की अनुशंसा गृह विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के स्तर पर गठित चयन समिति को निम्नरूपेण पुनर्गठित किया जाता है :-

(i)	पुलिस महानिदेशक (अभियान)/अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
(ii)	पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
(iii)	पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना	—	सदस्य
(iv)	क्षेत्र में पदस्थापित वरीयतम पुलिस महानिरीक्षक	—	सदस्य
(v)	} क्षेत्र में पदस्थापित वरीयतम 02 पुलिस उप-महानिरीक्षक	—	सदस्य
(vi)			

5. विभागीय संकल्प-सह-ज्ञापांक संख्या-5660, दिनांक-27.05.2004 की कंडिका-3 निहित प्रावधान को छोड़कर शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 454-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>